By Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

Case File No. BR/8/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV Dated: 04.07.2018

To,

The Chairman cum Managing Director,
Central Coalfield Limited,
Darbhanga House,
Ranchi – 834 001 (Jharkhand).

Sub: Minutes of the Sitting taken by Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 25.04.2018 in the matter of Shri Baijnath Ram, Chairman, SC/ST/BC Employees Co-ordination Council, CCL Zone, Ranchi, Jharkhand regarding re-appointment of Shri Rajkumar in CCL.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Minutes of the Sitting held under the Chairmanship of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 25.04.2018 on the above mentioned subject for perusal.

It is requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

04/7/2018

(Y.K. Bansal)
Research Officer

Copy to:-

Shri Baijnath,
Chairman,
All India SC/ST/BC Employees
Co-ordination Council,
Village & Post – Bhurkunda Bazar,
(near Bharat Medical Hall)
District - Ramgarh – 829 106
(Jharkhand)

Copy to:- I-SAS, NIC, NCST.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

2. पत्रावली संख्या–बी.आर/8/2016/एम.सी.ओ.ली.1/सी.ई.ओ.टी.एच/आर. यू–4

श्री राजकुमार, पिता श्री विशु करमाली, पद–पिस रेटेड सी.सी.एल, रांची, कुजू कोलियारी, जिला– रानगढ की सेवाएं पुर्न बहाल किए जाने के बारे में श्री बैजनाथ राम अध्यक्ष ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल सी.सी.एल जोन रांची से प्राप्त शिकायती अभ्यावदेन। माननीय सदस्या श्रीमति माया चिंतामण ईवनाते राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 25.4.2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे हुई सिंटिग का कार्यवृत्त।

सिंटिग की तेथिः–25.4.2018 को 12 बजे

बैठक में भाग लेने वालो की सूचीः–परिशिष्ट क

श्री बैजनाथ राम, अध्यक्ष, ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल, सी.सी.एल जोन रांची–भुरकुंडा बाजार, जिला–रामगढ ने आयोग को सम्बोधित अभ्यावेदन दिनांक 8.3.2016 के तहत आरोपित किया है कि श्री राजकुमार पिस रेटेड, कुजू कोलियारी, सी.सी.एल, जिला– रामगढ में कार्यरत थे। वह दिनांक 4.8.2003 से 9.8.2003 तक छुटटी लेकर घर गए थे। जब वह अपना पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यस्थल पर गए तो उन्हें ज्वानिंग नहीं करने दिया गया, तथा उन्हें लंबे समय तक अनुपस्थित रहने का आरोप लगा कर कम्पनी प्रंबधन द्वारा अपने पंत्राक संख्या–पी.ओ/के.जी/पी.डी–ट्रमिनेशन/04/8919–99 दिनांक 26.10.2004 के द्वारा सेवा से बरखास्त कर दिया गया। प्रार्थी ने बरखास्तगी आदेश के विरूद्ध दया अपील दिनांक 19.7.2004 भी दी थी, जिस पर कम्पनी प्रंबधन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी ने लंबे समय तक अनुपस्थित होने के आरोपों के विरूद्ध पत्नी की बिमारी के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। परंतु उनको संज्ञान में नहीं लिया गया। प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित अनपढ कर्मचारी है तथा उसने भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करने बाबत लिखित आश्वासन भी दिया है जिसका कम्पनी प्रंबधन ने संज्ञान नहीं लिया हैं।

मामले में आयोग ने कार्यवाही करते हुए सी.सी.एल प्रंबधन से अपने पंत्राक संख्या दिनांक 13.7.2016 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 26.5.2017 एवं 19.4.2018 के तहत जांच प्रतिवेदन मांगा था। जिस पर सम्बन्धित विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अतः आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती माया चितांमण ईवनाते ने मामले पर चर्चा एवं सुनवाई हेतु दिनांक 25.4.2018 को 12 बजे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. के साथ आयोग में सिंटिग निश्चित की तदनुसार सम्बन्धितों को सिंटिग नोटिस जारी किया गया।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

चर्चा / सुनवाई

प्रकरण पर श्री गोपाल सिहं, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल, अन्य अधिकारियों के साथ आयोग में उक्त सिंटिग में उपस्थित हुए। सिंटिग में अभ्यावेदक श्री बैजनाथ राम भी उपस्थित रहें। मामले पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा द्वारा माननीय सदस्य ने सी.सी.एल प्रबंधन से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल ने आयोग को बताया की श्री राजकुमार की कुल उपस्थिति 3 साल के भीतर 93 दिन की रहीं है। जबकि नियमानुसार कम से कम उक्त स्तर पर कंपनी के किसी कर्मचारी की उपस्थिति एक वर्ष में 75 दिन की तथा 3 साल में 225 दिन की होनी चाहिए, तभी जाकर उस कर्मचारी की सेवा बहाली पर विचार किया जा सकता हैं।

आयोग की सलाह है कि श्री राजकुमार को सेवा में वापिस लेने हेतु मामले का पुनः निरक्षण करते हुए तीन व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाए जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का रखा जाए तथा कमेटी की अध्यक्षता भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य द्वारा कि जाए। तदनुसार श्री राजकुमार को सी.सी.एल की सेवा में पुनः लिया जाए।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

बैठक की तिथिः 25.4.2018

(1) Case File No. BR/8/2016/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(2) Case File No. BR/3/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(3) Case File No. BR/6/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(4) Case File No. BR/9/2017/MCOL1/SEOTH/Ru-IV
(5) Case File No. MRM/1/2015/MCOL1/DEOTH/RU-IV

बैठक में भाग लेने वालों की सूचीं:–

National Commission for Scheduled Tribes

Sl. No.	Name and Designation
1.	Smt. Maya Chintamn Ivnate Hon'ble Member
2.	Shri S.K. Ratho, Joint Secretary, NCST
3.	Shri P.T. Jameskutty Deputy Secretary
4.	Shri Sudhir Atram PS to Hon'ble Member
5.	Shri H.R. Meena Sr. Investigator

Ministry of Coal (Central Coal Fields Ltd.)

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Gopal Singh CMD
2.	Shri Manoj Kumr CM
3.	Shri Ashitava Mukherjee CM (M)
4.	Shri Babu Lal H Manager

Petitioner

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Beijnath Ram